उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 03.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 03.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"थाना श्रीनगर पुलिस की अवैध जुआ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई:

अवैध जुआ खेलते 14 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹1.05 लाख नकदी बरामद"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, अवैध जुआ की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदया के पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय चरखारी के कुशल नेतृत्व में, थानाध्यक्ष जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित टीम (उ0नि0 हरिभजन गौतम, उ0नि0 संदीप विमल, का0 शीलू यादव, का0 पंकज कुमार) द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये 08 नफर अभियुक्तगण को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। विवरण निम्नवत हैः-

1.चतुर्भुज पुत्र सुखलाल अहिरवार (56 वर्ष)
2.धर्मपाल पुत्र रामस्वरूप पाल (33 वर्ष)
3.रूपसिंह पुत्र सेवालाल राजपूत (32 वर्ष)
4.कमल किशोर विश्वकर्मा पुत्र अनन्त राम (32 वर्ष)
5.प्रदीप राजपूत पुत्र गुमान सिंह (25 वर्ष)
6.वन्सू गोपाल अहिरवार पुत्र परमसुख (42 वर्ष)
7.हरपाल राजपूत पुत्र उत्तम राजपूत (40 वर्ष)
8.सचिन राजपूत पुत्र हल्के प्रसाद (30 वर्ष)

समस्त निवासीगण थाना श्रीनगर, जनपद महोबा, को ग्राम बसौरा स्थित सार्वजनिक स्थान से ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए ₹65,000/- मय मालफड़ तथा ₹4,310/- जामा तलाशी (कुल ₹69,310/-) और 52 अदद ताश पत्तों सहित गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में द्वितीय टीम (उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह, का0 शुभम यादव, का0 श्रीकान्त, का0 महेन्द्र कुमार) द्वारा कुल 06 नफर अभियुक्तगण—

1.हल्के राजपूत पुत्र स्व0 द्वारिका (58 वर्ष)
2.भानुप्रताप राजपूत पुत्र स्व0 शम्भूदयाल (48 वर्ष)
3.सुखदेव राजपूत पुत्र राजेन्द्र राजपूत (35 वर्ष)
4.कालीचरन राजपूत पुत्र स्व0 बसन्ता (57 वर्ष)
5.प्रद्युम्न राजपूत पुत्र देवकरन राजपूत (25 वर्ष)
6.चन्द्रभान प्रजापति पुत्र सरजू प्रजापति (35 वर्ष) को ग्राम बसौरा स्थित सड़क किनारे से ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए ₹32,000/- मय मालफड़ तथा ₹3,970/- जामा तलाशी (कुल ₹35,970/-) और 52 अदद ताश पत्तों सहित गिरफ्तार किया गया।

कुल कार्रवाई का विवरणः-

- गिरफ्तार अभियुक्त : 14
- बरामद मालफड़ : ₹97,000/-
- जामा तलाशी : ₹8,280/-
- कुल बरामदगी : ₹1,05,280/-
- ताश के पत्ते बरामद।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना श्रीनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 147/2025 व मु0अ0सं0 148/2025, धारा 13 जुआ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी मय हमराह का0 आर्यन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2025 धारा 137(2)/87/69 BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त पीर मोहम्मद पुत्र उसमान खां उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बागीपुरा थाना सरीला जनपद हमीरपुर को बस स्टैण्ड कस्बा चरखारी थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

पीर मोहम्मद पुत्र उसमान खां उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बागीपुरा थाना सरीला जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी
2. का0 आर्यन सिंह

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में, जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में, आज दिनांक 03.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.आशीष गंगेले पुत्र अखिलेश उर्फ बिल्लू उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा 2.भूपेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 मनीष तिवारी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर हाल पता ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा जिनके कब्जे से 01 अदद चाकू व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम अजनर थाना अजनर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 175/2025 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर, आवश्यक कार्यवाही उपरांत अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह
2.उ0नि0 आकाश मौर्य
3.कां0 प्रताप विक्रम सिंह 4.कां0 भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.आशीष गंगेले पुत्र अखिलेश उर्फ बिल्लू, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम जैलवारा, थाना अजनर, जनपद महोबा।

2.भूपेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 मनीष तिवारी, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम टोला रावत, थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर, हाल निवासी ग्राम जैलवारा, थाना अजनर, जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त आशीष गंगेले के कब्जे से — 01 अदद चाकू एवं 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त भूपेन्द्र तिवारी के कब्जे से — 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर ।

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने जिलाबदर अपराधी को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाबदर/पुरस्कार घोषित/वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रचलित अभियान "ऑपरेशन धरपकड़" के तहत आज दिनांक- 03.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हरिभजन गौतम मय हमराह कां0 कुबेर सिंह व कां0 श्रीकांत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान धवार मोड़ पर बने प्रतीक्षालय के पास से 01 नफर जिलाबदर अपराधी को आदेश श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय महोबा के वाद सं0 198/23 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0 D202307480000198 से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेन्द्र राजपूत पुत्र हरीसिहं उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम तिंदौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय महोबा के जिलाबदर आदेश का उलंघन करने पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 149/25 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट व अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 150/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टींम -

1.उ0नि0 हरिभजन गौतम
2.कां0 कुबेर 3.कां0 श्रीकांत

गिरफ्तार अभियुक्त-

बृजेन्द्र राजपूत पुत्र हरीसिहं उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम तिंदौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 25/21 धारा 60/63 आब0 अधि0 व 420/467/468/471/272भादवि
2.मु0अ0स0 61/21 धारा 60 आब0 अधि0, 419/420/467/468/471/272/273 भादवि
3.मु0अ0स0 31/22 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट
4.एनसीआर 2/22 धारा 323/504 भादवि
5.मु0सि0सि0नि0 1/23 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट
6.मु0अ0सं0 149/25 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट
7.मु0अ0स0 150/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट्